न्यायलय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी पाली

पीठासीन अधिकारी - श्रीमति अदिति पुरोहित, आर. ए. एस.

राजस्व विविध प्रार्थना - पत्र संख्या -

तारीख दायरा - 19-6-19

प्रार्थी - स्व० गबूता के कायम मुकाम धनाराम वगैरह
निवासी - बालराई

बनाम

अप्रार्थी - स्व० पीरा के कायम मुकाम मंगलादेवी वगैरह
निवासी बालराई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152, 153 RW 151 CPC का राजस्व वाद सं. 51/2009 अन्तर्गत धारा 53, 188 RTA मे पारित प्राथमिक डिक्री, अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27/4/2017 मे आंशिक संशोधन बाबत

उपस्थिति - [i] श्री जगदीशकुमार अधिवक्ता प्रार्थी (प्रतिवादी) की ओर से।
[ii] अप्रार्थी अनुपस्थित [नो - आब्जेक्शन]

निर्णय दिनांक - 26-6-19

वकील प्रार्थी (प्रतिवादीगण) उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152, 153 RW 151 CPC के तथ्य है कि न्यायलय द्वारा वाद सं. 51/2009 अन्तर्गत धारा 53, 188 RTA के तहत अंतिम निर्णय डिक्री दिनांक 27/4/17 को पारित की जा चुकी है। प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम निर्णय व डिक्री लिखते समय ग्राम बालराई के खसरा नं. 258 का बाई मिट्स एंड बाउन्डस का बंटवारा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

का आदेश दिया गया। चुंकि खसरा नं. 258/
पुर्व से सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भा
सरकार के नाम जमाबंदी मे दर्ज है एव खस
नम्बर 258/2 राष्ट्रीय राजमार्ग फोर लाइन
समय रोड की चौडाई को और अधिक बनाया
एवं ख.नं. 258/1 रकबा 0.01 बीधा एवं
नं. 258/2 रकबा 3 बीधा जो मूल खसरा नं
258 मे से कम कर दिया गया एवं शेष रक
50.07 बीघा भूमि का खातेदारान मे बंटवारा
गया लेकिन प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री मे
ख.नं. 258/2 जो सडक परिवहन एवं राजम
मंत्रालय भारत सरकार के नाम लिखना था
गलती से ख.नं. 258/2 खातेदार बाबूलाल पु
जेनाजी के नाम दर्ज कर दिया गया एवं उसके
मे बंटवाडे मे रखा गया जो गलत है, स्पष्ट

अधिवक्ता प्रतिवादीगण का निवेदन है कि आवे
स्वीकार करावे एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम नि
डिक्री दिनांक 27-4-2017 मे संशोधन करावे एव
ख.सं. 258/2 सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रा
भारत सरकार, नई दिल्ली के नाम दर्ज करने एव
खातेदार बाबूलाल के हिस्से से ख.न 258/2 को
हटाये जाने एवं उसकी जगह ख.नं. 258/1
दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया
गया, प्रस्तुत राजस्व अभिलेख निर्णय एवं अंतिम

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

डिक्री दिनांक 27-4-2017 मय मूल राजस्व वाद प्रकरण सं. 51/09 का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन अध्ययन एवं उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर है कि ग्राम बालराई तहसील रानी के ख.न. 258 रकबा 50.07 बीघा भूमि का बाईस मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा की प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री दिनांक 27/4/17 को पारित की गई हैं, न्यायलय द्वारा पारित निर्णय प्राथमिक डिक्रि एवं अंतिम डिक्री निर्णय मे खसरा नम्बर 258/2 का अंकन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज करना था जिसका अंकन सेवन से भूलवश खातेदार बाबूलाल पुत्र जेनाजी के नाम ख.न. 258/2 रकबा 6.02 बीघा दर्ज कर दिया गया है, उक्त त्रुटि को न्यायहित मे संशोधन किया जाना आवश्यक है।

अत: उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्राथमिक डिक्री, अंतिम डिक्री एवं निर्णय दिनांक 27-4-17 के बिन्दु सं. 07 के बंटवारे मे आंशिक संशोधन किया जाकर बाबूलाल की जगह हिस्से से ख.न. 258/2 हटाये जाकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज किये जाने एवं उसकी जगह ख.न. 258/16 रकबा 6.02 बीघा बाबूलाल पुत्र जेनजी जाति माली कुम्हार के

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता

तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जावे। यह आदेश राजस्व वाद संख्या 51/2009 मे पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दि 27/4/2017 का आवश्यक भाग समझा जावे

आदेश आज दिनांक को सरे इ सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मु वाद के संलग्न हो। आदेश की प्रति तहरीर साथ तहसीलदार रानी, पटवारी हल्का बालराई पालनार्थ भिजवाई जावे।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner